कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 74 / 2023

श्री ललित मेघवाल पुत्र श्री मन्छाराम निवासी पुरानी बस्ती, इन्दरी मेघवालों का वास, वार्ड नं0–7 सुमेरपुर, जिला पाली राज0 ..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर ..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 15.12.2023**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री ललित मेघवाल पुत्र श्री मन्छाराम निवासी पुरानी बस्ती, इन्दरी मेघवालों का वास, वार्ड नं0–7 सुमेरपुर, जिला पाली राज0 की अपील जरिये नोडल अधिकारी सूचना के अधिकार एवं सहायक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज0 जयपुर, विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 790 दिनांक 07.12.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लो.सू.अधि. जिला रसद अधिकारी भरतपुर के पत्रांक रसद / आरटीआई. / 2023 / 876 दिनांक 14.12.2023 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से बिन्दुवार 1 लगायत 2 की सूचना चाही गई थी। चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी ने जबाव प्रस्तुत किया है कि ".......आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा चाही गई सूचना में जिला भरतपुर से संबन्धित सूचना 22 पृष्ठों में होने के

आरटीआई / अपील / 2023 / 74
ललित मेघवाल बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर

कारण सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदक श्री ललित मेघवाल को कार्यालय से पत्रांक 195 दिनांक 31.10.2023 जारी कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पत्र रजिस्टर्ड डाक सं0 RR280221732IN दिनांक 31.10.2023 के माध्यक से आवेदक को प्रेषित किया गया। डाक दिनांक 04.11.2023 को प्राप्त की गयी है। आवेदक श्री ललित मेघवाल द्वारा कार्यालय से जारी पत्र दिनांक 31.10.2023 की पालना में आज दिनांक तक राशि राजकोष में जमा कराने के अभाव में आवेदक को सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है।''..... उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट द्वारा नियमानुसार वांछित राशि राजकोष में जमा नहीं कराये जाने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलान्ट को सूचित किया जाता है कि नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कर सूचना प्राप्त की जा सकती है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर